प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 21.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व दिया गया 4,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व दिया गया 4,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.12.2021 को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा थाना बकेवर पर तहरीर दी । तहरीर के आधार पर **थाना बकेवर** पर **मु0अ0सं0-535/2021 धारा 376/342 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 21.11.24 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जनपद इटावा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **नितिन कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी सराय नौधना थाना बकेवर जनपद इटावा ।**